

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 418621

जयपुर, दिनांक: 12/8

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सान्याअवि/15/3 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2011 नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनु अनुसूचित जाति अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

अनुसूचित जाति

क्र. स.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-भीलवाड़ा						
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, माण्डल	एस.सी.	50	25	0	25
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लाडपुरा	एस.सी.	50	15	0	35
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बनेडा	एस.सी.	35	10	0	25
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, आमली	एस.सी.	50	15	0	35
5.	राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास, दौलतगढ़	एस.सी.	35	10	0	25
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कनेछनकला	एस.सी.	25	0	15	40
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, शाहपुरा	एस.सी.	70	0	10	80
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फूलियाकला	एस.सी.	50	0	15	65
9.	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, भीलवाड़ा	एस.सी.	75	0	25	100
		योग	440	75	65	430
जिला-झुन्झुनू						
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बुहाना	एस.सी.	50	0	10	60
		योग	50	0	10	60
जिला-हनुमानगढ़						
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पक्कासारणा	एस.सी.	35	10	0	25
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पल्लू	एस.सी.	25	0	10	35
		योग	60	10	10	60
जिला-राजसमन्द						
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भीम	एस.सी.	50	0	10	60
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रेलमंगरा	एस.सी.	60	10	0	50
		योग	110	10	10	110
		महायोग	660	95	95	660

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन स

क्रमांक: एक 7 (2)(7) रा.छा /सान्याअवि./15/ 48622-630

जयपुर, दिनांक: 14/8/15

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर,
5. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
9. आदेश पत्रावली।

12/8/15
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)